

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छवडा जिला बारा (राज.)

क्रमांक 1/25

दिनांक 17.09.2025

निर्णय

प्रार्थी श्री धनराज पुत्र मोसजी न पार्थना  
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हुन्दावेडा तहसील छवडा  
 जिला बारा की चालू जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 72 में खातेदार/गैरखातेदार का  
 नाम/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से  
बेरा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी चमार  
 से करवाने पर पटवारी ने चमार के बजाय बेरा  
 करना उचित बताया। तहसीलदार छवडा ने भी इस खाते में  
 के बजाय बेरा करना उचित बताया।  
 अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956  
 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत  
 ग्राम हुन्दावेडा के खाता संख्या 72 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमार  
 के स्थान पर सम्मानजनक रूप से बेरा दर्ज करने का  
 आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छवडा तदनुसार कार्य रिकार्ड में दुरुस्त करे।

उपखण्ड अधिकारी  
 (Land Record Officer)  
 छवडा जिला बारा  
 17.09.2025